

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत अपर जिला कलक्टर (प्रथम) मुकाम जोधपुर
मोहन कौरा बनाम मांगीलाल वर्गेश
सं. मुकदमा राजस अपील नं. 09 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई अपीलार्थी पक्ष से आदेश उपस्थित। वकील अपीलार्थ ने जाहीत दिनांक पत्रकारान में राजीनामा होने की बात चल रही है अतः पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12-03-2022 को रखी जाके पत्रावली वास्ते पेश होने राजीनामा आर्डर दिनांक 12-03-2022 को पेश हो</p>	
12/03/22	<p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत होने पर प्रस्तुत हुई</p> <p>1. लोक अदालत अध्यक्ष :- श्री टी एच सम्मा (सिवानिवात जिला-आ. जोधपुर महानगर)</p> <p>2. लोक अदालत सदस्य :- श्री मदनलाल नेदरा (अपरजिला कलक्टर) (प्रथम) जोधपुर</p> <p>अपीलार्थी गण मय अधिवक्ता उपस्थित/रिस्को स. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी व अन्य ने कालतमाना पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी गण एवं प्रवर्धपक्ष 1 ता 5 लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति व राजीनामा से निपटे जाने केकरत अपील का निर्णय करने का चार्जना पत्र पेश किया जिस पर उपस्थित पत्रकार को युना गया।</p>	<p>मोहन कौरा</p> <p>समदू</p> <p>श्री मदनलाल नेदरा</p> <p>श्री टी एच सम्मा</p> <p>आसुदेवरी</p> <p>राजस</p>

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Raj...
वकील रिस्कोत 1/खे 5

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

राजीनामा पट्टर पुनादा व सम्पत्त
गया। पत्रकारान द्वारा राजीनामा
स्वीकार किया गया। अधिनियम अला
से लिखक शामिल पत्रावली किया
गया। अपीलार्थी आदेशा निरस्त किया
जाता है। तहसीलदार भूमी को निर्णय
की प्रति सूचनाय संव आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Handwritten signature)
अपर जिला कलेक्टर (अध्यक्ष)
जोधपुर

दि 15/05/2011 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर द्वारा
आदेश क्र- 15/2011 दिनांक 15/05/2011
(अध्यक्ष)
अपर जिला कलेक्टर (अध्यक्ष)
जोधपुर

रा.मु.जो.



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)

दिनांक 12-03-2022

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

याची/वादी/परिवादी का नाम : मोहनी पुत्री स्व. श्री मीराराम w/o श्री किरमराम वर्गोरा
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम : मांगीलाल पुत्र स्व. श्री मीराराम वर्गोरा
न्यायालय/प्राधिकरण की कार्यवाही संख्या :
ऋण खाता संख्या (यदि लागू हो तो) :
लोक अदालत अध्यक्ष का नाम : श्री टी एच सम्मा
सदस्यों का नाम 1. : श्री मदनलाल नेहरा
2. :

:- अधिनिर्णय :-

दिनांक 12-03-2022

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण पर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि-

ग्राम खेजड़ली कला तहसील लूणी के भूमि खसरा नं. 190 रकबा 29 बीघा 13 बिस्का को लेकर हुए अपीलाधीन भूमि विभाजन आदेश दिनांक 30-07-2019 काबत तत्सम राजस्व अपील सं. 09/2022 मोहनी वर्गोरा बनाम मांगीलाल वर्गोरा में हुए लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति व राजीनामा सिधे जाने से अपीलाधीन आदेश इस आशय तक निरस्त किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाधीन तलेक का 1 हिस्सा विभाजन में देने पर सहमत हो उपरोक्त अधिकारी लूणी न्यायालय में विचाराधीन अपील 24/2022 में राजीनामा करने की सहमति है तथा पुनः भूमि विभाजन अपीलाधीन व प्रत्यर्थी सं. 1 से 5 को स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त दुसर अपील का निरस्तार्ण किया जाता है तहसीलगत लूणी से सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति जारी की

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय

की फीस, यदि कोई नमों से किसी द्वारा संदत्त की गयी है, तो, वह वापस की जाएगी।

हस्ताक्षर

(याची/वादी/परिवादी)

मोहनी देवी

समद

आरुञ्जी

रमेश वर्मा

राजपुरा

हस्ताक्षर

(प्रतिवादी/प्रत्यर्थी)

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
(वकील/सहायक
से।से।)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर